संख्या-459/2016/6440जेएल/22-3-16-800(498)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर खीरी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2016***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी राजेश वर्मा पुत्र स्व0 हरद्वारीलाल, निवासी-मो0 पश्चिमी दीक्षिताना, थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी राजेश वर्मा पुत्र स्व0 हरद्वारीलाल, निवासी-मो0 पश्चिमी दीक्षिताना, थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी को शासनादेश संख्या-409/2016/5116जेएल/22-3-16-800(498)/2016, दिनांक 25-10-2016 के क्रम में **15 (पन्द्रह) दिन की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-459/2016/6440जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in